



संसदीय विषय

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066

www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या: सं.प्र/ शीतकालीन सत्र /2011

15703

दिनांक:

29 NOV 2011

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त,  
सभी प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

विषय: 15 वीं लोकसभा के 9 वें सत्र एवं राज्य सभा के 224 वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के लिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बैठक एवं दिनों के आबंटन का कैलेंडर ।

महोदय,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र सं. एच- 11011/01/2010- पी यू दिनांक 11.11.2011 द्वारा 15 वीं लोक सभा के 9 वें सत्र एवं राज्य सभा के 224 वें सत्र जो 22 नवम्बर, 2011 (मंगलवार) से प्रारंभ होगा एवं 21 दिसम्बर, 2011 (बुधवार) तक जारी रहेगा जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया जाए, के संबंध में सूचित किया है। मंत्रालय को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एवं निजी सदस्यों के कार्य के लिए दिनों का आबंटन निम्न प्रकार किया गया है।

### प्रश्न

| सदन                | नवम्बर 2011 | दिसम्बर 2011 |
|--------------------|-------------|--------------|
| लोकसभा (सोमवार)    | 28          | 5,12 एवं 19  |
| राज्य सभा (बुधवार) | 23 एवं 30   | 7,14 एवं 21  |

| लोक सभा<br>आबंटित दिन          | राज्य सभा<br>आबंटित दिन        |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>निजी सदस्यों के बिल</b>     |                                |
| 25 नवम्बर एवं 09 दिसम्बर, 2011 | 25 नवम्बर एवं 09 दिसम्बर, 2011 |
| <b>निजी सदस्यों के संकल्प</b>  |                                |
| 2 एवं 16 दिसम्बर, 2011         | 2 एवं 16 दिसम्बर, 2011         |

2. इस संबंध में अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए अपेक्षित सूचना/उत्तर की सामग्री ई-मेल द्वारा [pqepfo@gmail.com](mailto:pqepfo@gmail.com) एवं फैक्स 011-26177681, 011-26100314 या 011-26189910 द्वारा भेज दें।

3. पूर्व में यह अनुभव किया गया है कि संसदीय प्रश्न बहुत अल्प सूचना पर प्राप्त पर प्राप्त होते हैं। अतः अनुरोध है कि सभी संबंधित सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/स्टाफ उपर्युक्त अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहें। अतः अवकाश तथा दौरे के लिए अनुमति अपरिहार्य मामलों में ही स्वीकृत की जाए।

भवदीय,

२९.११.२०११  
(अमित वशिष्ठ)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (संसदीय प्रश्न)

प्रतिलिपि:

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
2. मुख्यालय में सभी अधिकारी।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेब अपलोड हेतु।
4. उप निदेशक (रा.भा.) से निवेदन है कि संसदीय प्रकोष्ठ की पुष्टि/सलाह के बाद ही स्टाफ को कार्यमुक्त करें।
5. गार्ड फाइल।